

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

EPABX : 2428721-24 फेक्स : 0294-2428721

ई-मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ.3(ए)(43)शिक्षा/सीटीएडी/2011-12/

दिनांक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद

परियोजना/उप परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर,डूंगरपुर,बांसवाडा,प्रतापगढ़,आबूरोड

विषय:-राजस्थान नोलेज कोरपोरेशन लि. के माध्यम से आश्रम छात्रावास एवं
आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को RSCIT एवं RSCEL का प्रशिक्षण
देने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि आवासीय विद्यालयो एवं आश्रम छात्रावासों में कक्षा 9 एवं
11वीं के छात्र/छात्राओं को RKCL के माध्यम से RSCIT एवं RSCEL का प्रशिक्षण दिया
जाना है। उक्त प्रशिक्षण राजस्थान नोलेज कारपोरेशन द्वारा किया जावेगा। इस सम्बन्ध में
विभाग द्वारा RKCL के मध्य सम्पादित एम.ओ.यू. की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही
है। एम.ओ.यू. के अनुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का श्रम करावे।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,



अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक:-सम संख्यक
प्रतिलिपि:-

33874

दिनांक 27-11-12

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान नोलेज कारपोरेशन लि. 7,ए झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया
आर.टी.ओ. के पीछे जयपुर को एम.ओ.यू. की अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय द्वारा हस्ताक्षरित
प्रति भेजकर लेख है कि एम.ओ.यू. अनुसार योजना का क्रियान्वयन 1.12.2012 से प्रारम्भ
करने का श्रम करावे। केन्द्र प्रारम्भ कर राशि की मांग संबंधित परियोजना /उप
परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषदों को प्रस्तुत करे।

2. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) कार्यालय हाजा को एम.ओ.यू. की प्रति सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अतिरिक्त आयुक्त